संख्या 21034/66/2009-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-हिंदी शिक्षण योजना के **अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों** को देय मानदेय की दरों में संशोधन के संबंध में ।

****

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 सितंबर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या:- 21034/21/2005-रा.भा.(प्रशि.) का हवाला देते हुए मुझे हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंशकालिक हिंदी प्राध्यापकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय देने के लिए मंजूरी देने का निदेश हुआ है:-

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 30.09.2005 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	संशोधित विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए मानदेय / पारिश्रमिक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 तक है|	540/- प्रतिमाह	एकांतर दिवस की कक्षाओं के लिए - मानदेय / पारिश्रमिक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है|	1080/- प्रतिमाह
	यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए ।	36/- प्रतिमाह	यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए ।	70/- प्रतिमाह
2	प्रति दिन की कक्षाओं के लिए - मानदेय/पारिश्रमिक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 तक है|	700/- प्रतिमाह	प्रति दिन की कक्षाओं के लिए- मानदेय/ पारिश्रमिक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) जहां प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति कम से कम 10 तक है|	1400/- रू. प्रतिमाह
	यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए|	45/- प्रतिमाह	यदि प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 10 से अधिक है तो प्रति अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी के लिए|	90/-रू. प्रतिमाह

नोट:- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, वहां पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है| ऐसी स्थिति में इन केंद्रों पर कार्यरत अंशकालिक प्राध्यापकों को एकांतर दिवस की कक्षाओ के लिए 1080/- एवं प्रतिदिन की कक्षाओं के लिए 1400/-रू. प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा|

2. मानदेय के संबंध में विभाग के पत्र संख्या-12013/24/83-रा.भा.(ई.) दिनांक 05.08.1985 में दी गई शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है ।

4. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी |

5. सरकारी सेवकों के लिए मानदेय की निर्धारित सीमा सभी प्रकार के मानदेय मिलाकर कुल रूपए 5,000/-(रूपए पांच हजार मात्र) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(सूरज भान)
उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

1. सभी महालेखाकार ।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) , गृह मंत्रालय, सी - 1, हटमैंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली.
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी ।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या 65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में ।
7. गार्ड फाईल ।

D P&C-fresh\training sec.doc